मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक 903 / 1199 / 2016 / 20–2 भोपाल, दिनांक 18-5-17

प्रति,

1. संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल
2. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.भोपाल
3. उप सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
4. संचालक, म.प्र.राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, भोपाल।

विषयः—माननीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में ''रूक जाना नहीं योजना के भावी कियान्वयन के संबंध में'' मंत्रालय में दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण !

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में ''रूक जाना नहीं योजना के भावी कियान्वयन के संबंध में'' मंत्रालय में दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(कलावती उइके)
अवर सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक 904 / 1199 / 2016 / 20–2 भोपाल, दिनांक 18-5-17

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी / राज्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल
2. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न प्रेषित।

अवर सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

मान. मंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 25 अप्रैल 2017 को मंत्रालय में संपन्न बैठक का कार्यवाही विवरण

--00--

आज दिनांक 25 अप्रैल 2017 को रूक जाना नहीं योजना के भावी क्रियान्वयन के संबंध में मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा कुँवर विजय शाह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई जिसमें अन्य प्रतिभागी परिशिष्ट 01 पर है।

बैठक चर्चा उपरांत में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. माध्यमिक शिक्षा मंडल वर्ष 2017 की परीक्षा से कक्षा 12 में दो विषयों में पूरक प्रदान करने के संबंध में परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। एक और इससे "रूक जाना नहीं" योजना में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कम होगी, वही दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा मंडल का लक्ष्य समूह (Target Group) भी बढ़ेगा।

2. रूक जाना नहीं योजना में फेल होने वाले परीक्षार्थियों को एक और अवसर प्राप्त होता है,जिससे वे आवांछनीय कृत्यों से दूर रहते है। अतः रूक जाना नहीं योजना आगामी वर्ष में भी निम्न संशोधन के साथ जारी रखी जाये :–

2.1 वर्ष 2017 की कक्षा 10 एवं 12 के परीक्षार्थी जो क्रमशः दो अथवा एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होंगे, वे ही रूक जाना नहीं योजना के अंतर्गत कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे।

2.2 कुल दो अवसर उपलब्ध होंगे। प्रथम अवसर जून माह में एवं द्वितीय अवसर अक्टूबर–नवम्बर माह में उपलब्ध होगा। द्वितीय अवसर माह अक्टूबर–नवम्बर में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी आगामी शैक्षणिक सत्र में ही नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

3. उपरोक्त दो अवसरों में भी अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी नियमानुसार केवल दो विषयों की क्रेडिट प्राप्त कर ओपन स्कूल की परम्परागत परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

4. राज्य शासन इस आशय के निर्देश जारी करेगा कि ऐसे समस्त परीक्षार्थी जिन्होंने रूक जाना नहीं योजना 2017 के प्रथम चरण हेतु आवेदन किया है, उन्हें बगैर कोई शुल्क लिये प्राविधिक (प्रोविजनल) प्रवेश शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में दिया जा सकेगा। प्रथम चरण में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को संबंधित विद्यालय निर्धारित शुल्क के साथ नियमित प्रवेश देंगे।

5. उपरोक्त योजना का दैनिक समाचार पत्रों में राज्य शासन की ओर से विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जाये।

6. यह भी निर्देश दिया गया कि मान. अर्चना चिटनिस समिति की रिपोर्ट विधानसभा कार्यालय से प्राप्त कर मान. मंत्री जी को अवलोकन हेतु प्रस्तुत की जाये।

17/5/17

(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Lekheeram
2017-05-09

परिशिष्ट –1

1. श्रीमती शिल्पा गुप्ता, संचालक,लोक शिक्षण म0प्र0 ।
2. श्री लोकेश जाटव, संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
3. श्री प्रमोद कुमार सिंह, उप सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
4. श्री प्रभात राज तिवारी, संचालक, म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद् भोपाल।

Lekheeram
2017-05-09